समाहरणालय, मधेपुरा
(गोपनीय शाखा)
-: संयुक्त आदेश :-

पंचायत चुनाव, 2016 के अवसर पर दिनांक 30-07-2016 से मतगणना समाप्ति तक जिला के शंकरपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत गिद्धा का मुखिया पद एवं बिहारीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हथिऔंधा के ग्राम पंचायत सदस्य के प्रत्यादिष्ट किये गये पदों का चिन्हित मतगणना केन्द्रों पर सुरक्षा एवं विधि-व्यवस्था बनाये रखने संबंधी जिला संयुक्त प्रतिनियुक्ति आदेश।

सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक-पं0नि0 5662, दिनांक 29-06-2016 से प्राप्त निदेश के आलोक में पंचायत आम निर्वाचन, 2016 के दौरान प्रत्याशियों की मृत्यु के कारण मधेपुरा जिलान्तर्गत दिनांक 28-07-2016 को शंकरपुर प्रखंड के ग्राम पंचायत गिद्धा के मुखिया पद तथा बिहारीगंज प्रखंड के ग्राम पंचायत हथिऔंधा के ग्राम पंचायत सदस्य प्रा0नि0क्षेत्र संख्या-9 का मतदान समाप्ति के पश्चात् दिनांक 30-07-2016 को मतगणना की तिथि निर्धारित है। मतगणना का समय प्रातः 08:00 बजे से अपराह्न 06:00 बजे तक निम्नांकित स्थल पर की जायेगी :-

क्र0	प्रखंड का नाम	बज्रगृह एवं मतगणना केन्द्र का नाम
1	शंकरपुर	मध्य विद्यालय कोल्हुआ पूर्व, शंकरपुर
2	बिहारीगंज	पंचायत भवन, कुस्थन, बिहारीगंज

उक्त प्रखंडों के मतगणना का कार्य दिनांक 30-07-2016 को यथानिदेशित स्थल में 08:00 बजे प्रातः से प्रारंभ होगा, जिसके लिए प्रवेश /निकास हेतु मात्र एक ही मुख्य द्वार होगा, जिसका उपयोग प्रवेश/ निकास के लिए किया जाएगा। इस मतगणना के अवसर पर विधि-व्यवस्था के संधारण हेतु प्रखण्डवार निम्नांकित दण्डाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों /पुलिस बल /लाठी बल की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट-''क'' पर की जाती है।

(2) प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी का कर्त्तव्य

सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि 06:00 बजे सुबह अपने-अपने प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित हो जायेगे और मतगणना कार्य सम्पन्न होने के उपरांत निर्वाची पदाधिकारी से अनुमति प्राप्त कर ही अपना स्थाना छोड़ेंगे।

सभी थानाध्यक्ष को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने प्रखंड के मतगणना केन्द्र पर सुबह 06:00 बजे से उपस्थित होकर विधि-व्यवस्था का संधारण करेंगे और यदि कोई कठिनाई हो तो अधोहस्ताक्षरी द्वय को सूचित करेंगे।

(3) बज्रगृह एवं मतगणना हॉल की आंतरिक सुरक्षा :-

पंचायत चुनाव, 2016 के अवसर पर मधेपुरा जिला के 13 प्रखंडों हेतु अलग-अलग बज्रगृह /मतगणना केन्द्र की स्थापना की गई है। प्रत्येक बज्रगृह एवं मतगणना

केन्द्र के मुख्य प्रवेश द्वार, मतगणना कक्ष का परिसर, मतगणना केन्द्र के सम्पूर्ण प्रभार एवं गश्ती दल (संबंधित मतगणना स्थल से बाजार) में दण्डाधिकारी /पुलिस पदाधिकारी /सशस्त्र बल /लाठी बल की प्रतिनियुक्ति परिशिष्ट-'क' के अनुसार की जाती है।

प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का यह दायित्व होगा कि मतगणना हॉल के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा किसी भी वैसे व्यक्ति जिन्हें अंदर जाने की अनुमति प्राप्त नहीं है, को अंदर जाने नहीं देंगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी का यह दायित्व होगा कि किसी भी अवांछित तत्व को मतगणना केन्द्र में प्रवेश नहीं करने दें एवं अधिकृत पदाधिकारी द्वारा निर्गत प्रवेश पत्र पर ही मतगणना केन्द्र में मतगणना अभिकर्त्ता /अभ्यर्थी /निर्वाचन अभिकर्त्ता/ मीडिया पर्सन्स एवं अन्य पदाधिकारियों /मतगणना कर्मियों को प्रवेश करने की अनुमति प्रदान किया जायेगा।

साथ ही किसी भी अभ्यर्थी या उनके निर्वाचन अभिकर्त्ता के साथ किसी भी सुरक्षा गार्ड को मतगणना केन्द्र के भीतर प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति मतगणना केन्द्र के अन्दर प्रवेश नहीं करें। पंचायत निर्वाचन विभाग के निदेशानुसार मतगणना केन्द्र में किसी भी प्रकार का ज्वलनशील पदार्थ, कैल्कुलेटर, मोबाईल फोन, सेल्युलर फोन, कॉर्डलेस फोन, वायरलेस सेट इत्यादि ले जाना वर्जित होगा। मतगणना केन्द्र के प्रवेश द्वार पर चेकिंग का विडियोग्राफी करायी जाए। इसे सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाची पदाधिकारी (पं0) सुनिश्चित करायेंगे। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी पंचायत निर्वाचन विभाग के उपरोक्त आदेश का कड़ाई से पालन करेंगे तथा तलाशी के बाद ही मतगणना केन्द्र में प्रवेश की अनुमति देंगे।

(4) मुख्य प्रवेश द्वार :-

सभी मतगणना केन्द्र में प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी/ कर्मी का यह दायित्व होगा कि मतगणना हॉल के अंदर प्रवेश करने वाले व्यक्तियों पर कड़ी निगरानी रखेंगे तथा DFMD /HHMD से जॉचोपरान्त ही अन्दर प्रवेश करने वाले व्यक्ति को प्रवेश की अनुमति देंगे। किसी भी वैसे व्यक्ति जिन्हें अंदर जाने की अनुमति प्राप्त नहीं है, को अंदर जाने नहीं देंगे।

समूह पदाधिकारी, विशेष शाखा, मधेपुरा को निदेश दिया जाता है कि उपरोक्त सभी मतगणना केन्द्र पर मेटल डिटेक्टर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। परिचारी प्रवर मधेपुरा अपने स्तर से भी सुयोग्य एव दक्ष पुलिस पदाधिकारी/ पुलिसकर्मी की प्रतिनियुक्ति DFMD/ HHMD के साथ ससमय कराना सुनिश्चित करेंगे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ रहे।

मुख्य द्वार के पास लाउडस्पीकर की व्यवस्था रहेगी, जिसका उपयोग भीड़ नियंत्रण एवं विधि-व्यवस्था के लिए होगी। जिला पंचायती राज पदाधिकारी, मधेपुरा इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करायेंगे। ड्रॉप गेट पर भी लाउडस्पीकर लगा रहेगा, ताकि अनावश्यक भीड़ उत्पन्न न हो पाए।

परिचारी प्रवर, मधेपुरा /वितंतु पर्यवेक्षक, मधेपुरा को आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को एक-एक मैन पैक (हिन्ड हेल्ड सेट) भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायेंगे।

(5) ड्रॉप गेट :-

सभी निर्वाची पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत चिन्हित स्थल पर ड्रॉप गेट /बैरियर आवश्यकतानुसार लगवाना सुनिश्चित करेंगे। सभी मतगणना स्थल के प्रतिनियुक्त वरीय प्रभारी पदाधिकारियों को निदेश दिया जाता है कि वे मतगणना परिसर में उच्चाधिकारी को छोड़कर किसी प्रकार के वाहनों का प्रवेश वर्जित करेंगे। यदि कोई उम्मीदवार वाहन से आते हैं, तो उनके वाहन को बाहर में पार्किंग करायेंगे।

परिचारी प्रवर, मधेपुरा चिन्हित ड्रॉप गेट /बैरियर पर पुलिस पदाधिकारी के साथ 10 लाठी बल एवं 1-4 बी0एम0पी0 की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करायेंगे।

(6) मतगणना केन्द्र के बाहर सड़क पर गश्ती दल :-

सभी 13 मतगणना केन्द्र के बाहर सड़क में पुलिस पदाधिकारी /पुलिस बल /लाठी बल की प्रतिनियुक्ति परिचारी प्रवर, मधेपुरा सुनिश्चित करेंगे। प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी /बल का यह दायित्व होगा कि वे मतगणना केन्द्र के बाहर मुख्य सड़क पर पैदल गश्ती एवं सघन गश्ती करेंगे तथा विधि-व्यवस्था बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे।

(7) चिकित्सा की व्यवस्था :-

मतगणना का कार्य अनवरत चलता रहेगा तथा इस कार्य में अधिकांश व्यक्ति कार्यरत रहेंगे। ऐसी स्थिति में किसी भी आकस्मिकता के लिए असैनिक शल्य चिकित्सक -सह- मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मधेपुरा, अपने स्तर से सभी प्रखंडों के मतगणना स्थल पर चिकित्सा पदाधिकारी के साथ पर्याप्त संख्या में चिकित्साकर्मी, एम्बुलेंस एवं प्राथमिक उपचार से संबंधित दवा के साथ प्रतिनियुक्ति करना सुनिश्चित करेंगे।

(8) मतगणना स्थल हेतु स्वच्छता की व्यवस्था

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाची पदाधिकारी मधेपुरा जिला दिनांक 29-07-2016 से ही मतगणना केन्द्र स्थित बज्रगृह, मतगणना हॉल एवं परिसर की सफाई करवाना सुनिश्चित करेंगे। वहॉ जो शौचालय बनवाये गये हों, उस पर स्वीपरों की ड्यूटी बॉट देंगे, ताकि वहॉ पर हमेशा स्वच्छता बनी रहे।

(9) विडियोग्राफी की व्यवस्था

पंचायत निर्वाचन आयोग के निदेशानुसार मतगणना कार्य का विडियोग्राफी कराना है। तदनुसार सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाची पदाधिकारी (पं0) मतगणना कार्यों की विडियोग्राफी कराना सुनिश्चित करेंगे।

(10) मतगणना परिसर में मिडिया कक्ष :-

सभी प्रखण्ड में चिन्हित प्रत्येक मतगणना परिसर में मिडिया कक्ष की व्यवस्था संबंधित निर्वाची पदाधिकारी -सह- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। संबंधित निर्वाची पदाधिकारी अपने स्तर से पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। साथ ही परिचारी प्रवर, मधेपुरा सभी मिडिया कक्ष में 1-4 सशस्त्र बल एवं आवश्यकतानुसार लाठी की प्रतिनियुक्ति करेंगे।

(11) नियंत्रण कक्ष के बाहर

अनुमण्डल पदाधिकारी, मधेपुरा /उदाकिशुनगंज को निदेश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले मतगणना केन्द्र पर अपने स्तर से नियंत्रण कक्ष अधिष्ठापित